STC/BS&P/BS/10023/2017/CIR

20th November, 2017

#### CIRCULAR NO. 227

Subject:

Amendment of Clause 35(b) of Scheduled -A (1) & A (2) and Clause 34 of Schedule-B of the Delegation of Powers.

Competent Authority has approved amendment of Clause 35(b) of Schedule – A (1) & A (2) relating to Trade and Business matters and Clause 34 of Schedule-B relating to Establishment and General matters of Delegation of Powers as given below:

#### Schedule A-(1): Trade and Business Matters (C. O.):

35(b) Engagement of Advocates including professional charges and other legal expenses:-

Director Full (Marketing) Powers

- (i) Appointment of Advocates as per STC's schedule of fee.
- (ii) Appointment of Attorney General / Solicitor General / Additional Solicitor general / designated Senior Advocates at their rates of legal fee and other charges.

For appointment of Advocates not covered in (i) and (ii), the engagement will be done with the approval of CMD.

The procedure for processing of bills etc., will be as per instructions issued separately from time to time.

#### Schedule-A (2): Trade and Business Matters (Branches):

35(b) Engagement of advocates including professional charges and other legal expenses:-

Director Full (Branch ) Powers

- (i) Appointment of Advocates as per STC's schedule of fee.
- (ii) Appointment of Attorney General/Solicitor General/ Additional Solicitor General/Designated Senior Advocates at their rates of legal fee and other charges.

For appointment of Advocates not covered in (i) and (ii), the engagement will be done with the approval of CMD

The procedure for processing of bills etc., will be as per instructions issued separately from time to time.



# Schedule-B: Establishment and General matters (C.O. and Branches):

34. Engagement of advocates including professional charges and other legal expenses:-

Director Full (Personnel) Powers

- Appointment of Advocates as per STC's schedule of fee.
- (ii) Appointment of Attorney General/ Solicitor General/ Additional Solicitor General/Designated Senior Advocates at their rates of legal fee and other charges.

For appointment of Advocates not covered in (i) and (ii), the engagement will be done with the approval of CMD

The procedure for processing of bills etc., will be as per instructions issued separately from time to time.

This issues with the approval of the Competent Authority.

(Ritu Arora) Company Secretary

To: All Concerned

### परिपत्र सं. 227

# विषय: शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची – क(1) एवं क(2) के खंड 35(ख) और अनुसूची-ख के खंड 34 में संशोधन

सक्षम प्राधिकारी ने शक्तियों के प्रत्यायोजन के व्यापार और व्यवसाय से संबंधित अनुसूची-क(1) एवं क(2) के खंड 35(ख) तथा स्थापना और सामान्य मामलों से संबंधित अनुसूची-ख के खंड 34 में निम्नवत संशोधन का अनुमोदन कर दिया है:

# अनुसूची-क(1): व्यापार और व्यावसायिक मामले (मुख्यालय):

35(ख) वकीलों का विनियोजन, व्यावसायिक प्रभारों और अन्य कानूनी खर्चों सहित:

निदेशक (विपणन)	पूर्ण शक्तियाँ	(i)	एसटीसी की शुल्क दर के अनुसार वकीलों की नियुक्ति
was the	TO THE PERSON AND THE	(ii)	अटार्नी जनरल/सॉलिसिटर जनरल/ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल/ पदनामित वरिष्ठ वकीलों की उनके कानूनी शुल्क की दरों और अन्य खर्चों सहित नियुक्ति

(i) और (ii) में कवर न होने वाले वकीलों की नियुक्ति हेतु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से विनियोजन किया जाएगा।

बिल आदि तैयार करने की प्रक्रिया समय-समय पर अलग से जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

## अन्सूची-क(2): व्यापार और व्यावसायिक मामले (शाखाएँ):

35(ख) वकीलों का विनियोजन, व्यावसायिक प्रभारों और अन्य कानूनी खर्ची सहित:

निदेशक (शाखा)	पूर्ण शक्तियाँ	(i)	एसटीसी की शुल्क दर के अनुसार वकीलों की नियुक्ति
		(ii)	अटार्नी जनरल/सॉलिसिटर जनरल/ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल/ पदनामित वरिष्ठ वकीलों की उनके कानूनी शुल्क की दरों और अन्य खर्ची सहित नियुक्ति

(i) और (ii) में कवर न होने वाले एडवोकेटों की नियुक्ति हेतु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से विनियोजन किया जाएगा।

बिल आदि तैयार करने की प्रक्रिया समय-समय पर अलग से जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

अनुसूची-ख : स्थापना और सामान्य मामले (मुख्यालय और शाखाएँ):

निदेशक (कार्मिक)	पूर्ण शक्तियाँ	(i)	एसटीसी की शुल्क दर के अनुसार वकीलों की नियुक्ति
	FSIGNATURAL SERVICES	(ii)	अटार्नी जनरल/सॉलिसिटर जनरल/ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल/ पदनामित वरिष्ठ वकीलों की उनके कानूनी शुल्क की दरों और अन्य खर्चों सहित नियुक्ति

(i) और (ii) में कवर न होने वाले एडवोकेटों की नियुक्ति हेतु, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन से विनियोजन किया जाएगा।

बिल आदि तैयार करने की प्रक्रिया समय-समय पर अलग से जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार होगी।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(रितु अरोड़ा)

कंपनी सचिव

सभी संबंधित